झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

राँची, दिनांक-26/12/2022

संख्या-5/आरोप-1-102/2018-18725 (HRMS)/ श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र-'क') गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्रीमती टुडू के विरूद्ध मनरेगा अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 38 मानव दिवस सृजन करने, टाटीझरिया प्रखण्ड में डोभा निर्माण का कुल लक्ष्य 663 के विरूद्ध मात्र 83 पर ही कार्य प्रारंभ करने, टाटीझरिया प्रखण्ड में लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 27% जाॅब कार्ड का सत्यापन करने, 15 मार्च, 2017 तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने के विभागीय निदेश की अवहेलना करने, मनरेगा अन्तर्गत पूर्व से लम्बित योजनाओं को पूर्ण कर बंद करने संबंधी विभागीय निदेश की अवहेलना करने, मनरेगा अन्तर्गत delay payment एवं कुल सृजित परिसम्पतियों के विरूद्ध मात्र 10% परिसम्पतियों का ही जियो टैगिंग कराने संबंधी कुल-07 (सात) आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10344, दिनांक 05.10.2017 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा श्रीमती टुडू से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु इनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-419(HRMS), दिनांक 21.01.2020 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-211, दिनांक 15.03.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं0-1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के विरूद्ध आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव बयान को स्वीकार करते हुए एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है।

श्रीमती टुडू के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्रीमती टुडू के विरूद्ध निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3745, दिनांक 20.06.2022 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके अनुपालन में उनके पत्रांक-1005/भू0अ0, दिनांक 15.08.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। श्रीमती टुडू द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है-
आरोप सं0-1- मानव दिवस सृजन- वित्तीय वर्ष 2016-17 में औसतन 63 मानव दिवस सृजन प्रतिग्राम पंचायत प्रतिदिन किया गया था। पुनः टाटीझरिया से उँटारी रोड, पलामू स्थानान्तरण एवं विरमित होने के पूर्व तक 76 मानव दिवस प्रतिदिन प्रति पंचायत कार्य किया गया था। पुनः वित्तीय वर्ष 2017-18 में उनके कार्य अवधि के दौरान वास्तविक सृजित मानव दिवस के आधार पर औसतन सृजित मानव दिवस प्रति पंचायत 13,558 पाया गया। उपस्थापन पदाधिकारी भी उनके द्वितीय पूरक बचाव बयान पर सहमत है।

आरोप सं0-2-Status of Dobha- मनरेगा अन्तर्गत जल संचयन हेतु टाटीझरिया प्रखण्ड में डोभा निर्माण 228 के विरूद्ध 199 डोभा पूर्ण किया गया है, जो कि 87.76 प्रतिशत है। उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के अनुसार दिनांक- 28.08.2018 में MIS प्रतिवेदन के अनुसार 169 डोभा निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में आरोप संख्या- 5 Scheme Pendency में दर्शाया गया है कि दिनांक 20.04.2017 को द्वितीय वर्ष 2016-17 में लंबित योजनाओं की संख्या- 179 के विरूद्ध 169 योजनाओं को पूर्ण किया गया। पुनः वित्तीय वर्ष 2015-16 की अपूर्ण 188 योजनाओं में से 179 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है, जो कि लगभग 80% डोभा निर्माण योजनाओं से संबंधित है। इस प्रकार उनके कार्यकाल में ही लक्ष्य के साथ-साथ लंबित योजनाओं को भी पूर्ण किया गया। ज्ञातव्य हो कि मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण संबंधी योजनाओं की स्वीकृति के निमित्त ग्राम पंचायत मुखिया के अध्यक्षता में ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन/प्रस्ताव पारित कर पंचायत समिति के अनुमोदनोपरांत ही डोभा निर्माण का कार्य कराया जाता है। विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित करने से भी संबंधित लाभुक/रैयत की सहमति लेना आवश्यक है। इस प्रकार लक्ष्य पूर्ण नहीं करने से उन पर कार्रवाई करना औचित्य नहीं है।

आरोप सं0-3-Status of Jobcard verification - उनके द्वारा 7697 जॉबकार्ड के विरूद्ध 7081 जॉवकार्ड का verification कर लिया गया था जो कि 97% था (उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि जॉबकार्ड verification 97% था)।

आरोप सं0-4-Status of AWC- टाटीझरिया प्रखण्ड में कुल- 06 आंगनबाड़ी केन्द्र मनरेगा एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त राशि के अभिसरण (Convergence) से निर्माण करना प्रस्तावित था। उनके कार्यकाल में ही 06 आंगनबाड़ी केन्द्र भौतिक रूप से पूर्ण कराया गया था। यह लक्ष्य का शत प्रतिशत है एवं एम0आई0एस0 में 03 (तीन) आंगनबाड़ी केन्द्र (मड़पा, करमा एवं परतंगा AWC) बंद किया जा चुका था, शेष तीन आंगनबाड़ी केन्द्र का मापीपुस्त कार्यपालक अभियंता के पास सत्यापन के लिए भेजा गया था। भूमि की अनुपलब्धता/भूमि विवाद/स्थल परिवर्तन एवं तकनीकी कारणों से 03 आंगनबाड़ी केन्द्रों का क्रियान्वयन विलम्ब से प्रारंभ हुआ। टाटीझरिया प्रखण्ड सुदूरवर्ती ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में अवस्थित है। बरसात के दिनों में ग्रामीण नदियों/नालो में पक्की सड़क/पुल-पुलिया के अभाव में निर्माण सामग्री यथा सीमेंट, छड़ इत्यादि के ढुलाई में आवागमन की समस्या भी प्रमुख कारणों में से है।

आरोप सं0-5-Scheme Pendency- उनके कार्यकाल में 2014-15 एवं उससे पूर्व की सभी 13 योजनाओं, वित्तीय वर्ष 2015-16 की 188 में से 179 योजनाओं, वित्तीय वर्ष 2016-17 की 173 में से 169 योजनओं को पूर्ण किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 की लंबित 09 योजनाये तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की लंबित 04 योजनाये जो सभी कूप निर्माण की योजनाये थी, जिसे भौतिक रूप से पूर्ण कराते हुए एम०आई०एस० में बंद करने की कार्रवाई की जा रही थी, ज्ञातव्य हो कि कूप निर्माण योजनाओं में सामग्री मद में ऑनलाईन आवंटन उपलब्ध कराया जाता है, ऑनलाईन आवंटन उपलब्ध नहीं रहने के कारण MIS Close नहीं किया जा सका। परन्तु सभी योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण किया गया था। अतः Online Fund की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है।

आरोप सं0-6- Delay Payment- उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के 15.07.2016 को टाटीझरिया प्रखण्ड का पदभार ग्रहण किया था। Delay Payment का मामला तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यकाल में किया गया था, जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के सम्पूर्ण अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 का उन पर आरोप लगाना न्यायोचित नहीं है। उनके कार्य अवधि वित्तीय वर्ष 2017-18 में Delay Payment 6.3% (Timely Payment 99.6%) था।

आरोप सं0-7- GEO MGNREGA- उनके कार्य अवधि में कुल 76.06% GEO Tagging कर दिया गया था। MIS के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 मार्च 2019 तक कुल- 98.32% GEO Tagging किया जा चुका है। इस प्रकार उनके द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की धारा-3 (3) का उल्लंघन नहीं किया गया, विभागीय संचालन पदाधिकारी के जाँच एवं मंतव्य से स्वतः स्पष्ट है।

श्रीमती टुडू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण एवं उनके बचाव बयान में संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किया गया है। श्रीमती टुडू के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र के अनुसार सभी आरोप दिनांक 19.04.2017 के MIS प्रतिवेदन के आधार पर गठित है जबकि आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में एक वर्ष के पश्चात् दिनांक 21.08.2018 एवं उसके बाद के प्रतिवेदन को आधार बनाया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 19.04.2017 के MIS के आधार पर आरोप गठन से संबंधित डाटा से इनकार भी नहीं किया गया है। उक्त एक वर्ष बाद के अवधि के प्रतिवेदन के आधार पर ही संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो सही प्रतीत नहीं होता है। अतः स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा आरोप गठन के समय कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, किन्तु बाद की अवधि में सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति की गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	**Employee Name G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	KUMUDINI TUDU 20060400028	श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

,,

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रंजीत कुमार लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

ज्ञापांक-5/आरोप-1-102/2018-18725 (HRMS)/राँची दिनांक-26/12/2022

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आरोप-1-102/2018-18725 (HRMS)/राँची दिनांक-26/12/2022

प्रतिलिपि-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची /माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/ उपायुक्त, हजारीबाग/उपायुक्त, गोड्डा/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव प्रशाखा-6/विभागीय अवर सचिव प्रशाखा-5/श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा0प्र0से0, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Prepared By:- MANISHA KUMARI - (110073336087)